

प्रेम्क,

श्री श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सादापु केन्द्र,
प्राचीन विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

तारीख: दिनांक: 12, जुलाई, 2000

विषय- देहरादून पब्लिक स्कूल जानसठ रोड, मुंजफरनगर को सी०बी०एस्त०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देहरादून पब्लिक स्कूल, जानसठ रोड, मुंजफरनगर को सी०बी०एस्त०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोलाघटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तय किए गए विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञातकीय उ०मा० विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

.....2/

(Handwritten Signature)
 (सचिव)
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
 शिक्षा केन्द्र-2 सादापु
 प्राचीन विहार, नई दिल्ली

- 188 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भ्रमदीय,




। श्याम सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव।

मू०सं०- 111/15-7-2000, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, महारनपुर।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर।
4. निरीक्षक, अंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०पु०, लखनऊ।
5. प्रबंधक, देहरादून पब्लिक स्कूल, ज्ञानस्थल रोड, मुजफ्फरनगर।

आज्ञा से,



। श्याम सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव।